श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 409, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

सं0 18/ ए.एस.(आर.वाई.)/आर.टी.आई./आई.सी./2016

के मामले में :

श्री बीरेंद्र प्रसाद,
जी.डी.एस.बी.पी.ओ.,
मीनापुर एस.ओ.
जिला- मुज़फ्फरपुर,बिहार- 843128

..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ..... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक- 5.10.2016

श्री बीरेंद्र प्रसाद (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 23.7.2016 के आवेदन-पत्र (विभाग में माननीय सालिसिटर जनरल के कार्यालय के दिनांक 27.7.2016 के पत्र के साथ दिनांक 28.7.2016 को प्राप्त) में निम्नलिखित सूचना मांगी थी:-

i. माननीय कैट पटना के आदेशों के बावजूद कि उन्हें अविलंब ड्यूटी पर लिया जाए और पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी माना जाए, उनकी चार्ज शीट निरस्त नहीं की गई । बैंक वेजेज नहीं दिए गए ।
ii. विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन उलझाने के ख्याल से उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में रिट फाइल करने का प्रस्ताव भेज रखा है ।
iii. पटना हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने का प्रस्ताव संवैधानिक है या असंवैधानिक। इस संबंध में नियम कानून की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए ।

2. इस मामले में दिनांक 16.9.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा सं0 409, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था, और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि कोई भी एक पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा । अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 7.9.2016 द्वारा सूचित किया है कि वह एक साधारण आदमी है और अर्थाभाव से गुजर रहा है और उसके लिए दिल्ली आने-जाने एवं वहां ठहरने का खर्च वहन करना संभव नहीं है और अनुरोध किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के मेरिट पर निर्णय निर्गत किया जाए ।

3. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है । मैं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की आर.टी.आई. याचिका पर की गई कार्रवाई से सहमत हूं क्योंकि अपीलार्थी ने जो जानकारी मांगी है वह भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार विधि कार्य विभाग के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आती है और विधि कार्य विभाग किसी भी प्राईवेट व्यक्ति को कानूनी सलाह नहीं देता है । तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/ व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

रा० य०
(रामायण यादव)
अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष सं0 23384204

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री बीरेंद्र प्रसाद, जी.डी.एस.बी.पी.ओ., मीनापुर एस.ओ,.जिला- मुज़फ्फरपुर,बिहार- 843128
2. श्री के0 गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।

5/10/16